



राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर—302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, चौथमल सनाद्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा

(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत्ति सिंह	देवलाल गोचर	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो. 94133—44625	मो. 94144—03756	मो. 94140—56109	मो. 94143—96596

प्रेस विज्ञप्ति

कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर शिक्षक के आश्रितों को अन्य कार्मिकों की तरह 50 लाख अनुग्रह राशि देने की मांग

जयपुर 07 दिसम्बर 2020। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप से बचाव नियंत्रण आदि हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के समन्वयन के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित ऊँटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण इलाज के दौरान किसी राज्य कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 के प्रावधानों की सभी शर्तों की पालना के अध्यधिन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश महामंत्री श्री अरविंद व्यास ने बताया कि शिक्षकों की ऊँटी कोविड-19 की रोकथाम के अलावा पंचायत आम चुनाव 2020 में आम भीड़—भाड़ के साथ चुनाव सम्पन्न करवाने में लगाई गई तथा शिक्षा विभाग के स्माईल-2 के तहत घर—घर जाकर गृह कार्य देने, उसे संकलित कर उसके आंकलन किये जाने के आदेश दिए गए हैं। इन दोनों कार्यों में शिक्षकों को आमजन के बीच मेरा जाना पड़ा है। इन दोनों कार्यों में ऊँटी करने से शिक्षकों में कोरोना रोकथाम में ऊँटी से संक्रमित होने के मुकाबले अधिक संक्रमित होने के अवसर बढ़े हैं तथा इन कार्यों के दौरान शिक्षक संक्रमित भी हुए हैं।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेशाध्यक्ष श्री सम्पत्तिसिंह ने कहा कि कोविड-19 के रोकथाम में शिक्षकों की ऊँटी लगाना जितना खतरनाक है। उसी के समान ही आमजन के बीच शिक्षकों को पंचायत आम चुनाव कार्य व स्माईल-2 के तहत घर—घर भेजकर ऊँटी करवाना भी। इन दोनों ही ऊँटियों में शिक्षकों के कोरोना संक्रमित होने के अवसर बढ़े हैं। ऐसे में शिक्षकों की उक्त ऊँटी को कोरोना महामारी की रोकथाम में लगी ऊँटी के समान मानने के आदेश किया जाना वाजिब है।

श्री सम्पत्तसिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के दिनाक 01 दिसम्बर 2020 के परिपत्र में शिक्षकों से संबंधित उक्त ऊटीयों को कोरोना रोकथाम से अधिक खतरनाक मानते हुए आदेश में संशोधन किये जाना अपेक्षित है।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश संगठन मंत्री श्री प्रहलाद शर्मा ने बताया कि संगठन ने राजस्थान सरकार के शिक्षा व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री तथा शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित मुख्य शासन सचिव को ज्ञापन भेजकर स्माईल-2 के तहत घर-घर जाकर शिक्षा संबंधित कार्य करने तथा पंचायत आम चुनाव में ऊटी करने के दौरान कोरोना संक्रमित होने वाले शिक्षकों को राज्य के भीतर व बाहर इलाज करवाने का व्यय विभाग द्वारा वहन करने के आदेश कर बजट पारित किया जाने तथा उक्त ऊटीयों में संक्रमित हुए किसी भी शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उसे अन्य कार्मिकों के आश्रितों की तरह 50 लाख रुपये अनुग्रह सहायता राशि देने के आदेश जारी कर राहत प्रदान करने की मांग की है।

आशीष त्रिवेदी

(आशीष त्रिवेदी)
मीडिया प्रकोष्ठ सदस्य
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)